

राजस्थान-सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ3[ख] { }अलेसे-11/1165-172

दिनांक 11.2.15

कार्यमुक्ति आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 125/14-15 दिनांक 24.12.2014 के द्वारा निम्नांकित कार्मिकों का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर किया गया था, किन्तु विभागीय उक्त आदेश की पालना में इन कार्मिकों द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है :-

क्र. सं.	लिंक नम्बर	नाम सलेअ ग्रेड-द्वितीय सर्वश्री	वर्तमान कार्यालय का नाम	नवीन पदस्थापन स्थान
1	2470	मोहन लाल जोशी	कला एवं संस्कृति विभाग, सचिवालय, जयपुर	चिकित्सा विश्वविद्यालय, जयपुर
2	6156	योगेश शर्मा	निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर	उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्य करावंचन, जयपुर

अतः उपरोक्तानुसार तर्जित सलेअ ग्रेड-11 को संदर्भित आदेश दिनांक 24.12.2014 की निरन्तरता में तत्काल प्रभाव से वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे बिना कार्यग्रहण काल का उपभोग किए तुरन्त अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर सूचना दिनांक 13.02.2015 तक अविलम्ब फैंक्स अथवा विभागीय ई-मेल (aao2.dta@rajasthan.gov.in) द्वारा विभाग को भिजवावें। नवीन पदस्थापन स्थान पर समय में निर्धारित कार्यग्रहण नहीं करने वाले सलेअ ग्रेड-11 के विरुद्ध विभागीय आदेशों की अवहेलना के लिए नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।



(भास्कर शर्मा)

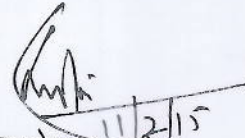
निदेशक

दिनांक 11.2.15

क्रमांक:-एफ3[ख] { }अलेसे-11/1165-172

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) शासन सचिवालय जयपुर।
- 2 संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को अविलम्ब नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित कर विभाग को सूचित करावें।
- 3 संबंधित कोषाधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेशों की पालना नहीं करने वाले कार्मिकों का वेतन निर्धारित अवधि के पश्चात नवीन पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करने से पूर्व आहरित नहीं किया जावे।
- 4 उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
- 5 संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर सूचना अविलम्ब डाक/फैंक्स अथवा विभागीय ई-मेल (aa02.dta@rajasthan.gov.in) पर इस विभाग को भिजवावें।
- 6 वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय।
- 7 निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।



(डा0नोपाराम पारीक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)